

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, दानापुर।

पटना, दिनांक-22/08/19

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत योजना के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना एवं विभागीय राज्यादेश सं०-129 दिनांक-22/08/19 के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र का पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (5-6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 22 के अंतर्गत नेहरूनगर में पाटलीपुत्रा थाना के आगे तक आर०सी०सी० नाला एवं पेभर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	26/ 12.08.2015	49.09800	24.54900	24.54900	24.54900
2	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड नं०- 15 में रौशन बिहार कॉलोनी बेली रोड (निकट सगुना मोड निशन कार शो रूम के सामने) से नया टोला गाँव जाने वाली पथ में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138/ 29.03.2016	178.07000	89.24823	88.82177	88.82177
कुल योग				227.16800	113.79723	113.37077	113.37077

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त आवंटित ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त आवंटित ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित पटना नगर निगम की योजना के सम्मुख स्तम्भ- 08 में अंकित कुल ₹24.54900 लाख (चौबीस लाख चौवन हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910115, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) उक्त आवंटित ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 2 पर अंकित नगर परिषद्, दानापुर की योजना के सम्मुख स्तम्भ- 8 में अंकित कुल ₹88.82177 लाख (अठासी लाख बयासी हजार एक सौ सतहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

✓

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 ०7 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 22.10.19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबधित
डाक

पत्रांक-2ब०/सड़क-09-01/2018

129

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-22/08/19

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की राशि कुल ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद की निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में स्वीकृत योजना के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अवशेष राशि (5-6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 22 के अंतर्गत नेहरूनगर में पाटलीपुत्रा थाना के आगे तक आर०सी०सी० नाला एवं पेभर ब्लॉक का निर्माण कार्य।	26/ 12.08.2015	49.09800	24.54900	24.54900	24.54900
2	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड नं०- 15 में रौशन बिहार कॉलोनी बेली रोड (निकट सगुना मोड निशन कार शो रूम के सामने) से नया टोला गाँव जाने वाली पथ में पी०सी०सी० पथ एवं आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	138/ 29.03.2016	178.07000	89.24823	88.82177	88.82177
कुल योग				227.16800	113.79723	113.37077	113.37077

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

✓

3. उक्त स्वीकृत ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त स्वीकृत ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 01 पर अंकित पटना नगर निगम की योजना के सम्मुख स्तम्भ- 08 में अंकित कुल ₹24.54900 लाख (चौबीस लाख चौवन हजार नौ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910115, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) उक्त स्वीकृत ₹113.37077 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सैतीस हजार सतहत्तर रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 2 पर अंकित नगर परिषद्, दानापुर की योजना के सम्मुख स्तम्भ- 8 में अंकित कुल ₹88.82177 लाख (अठासी लाख बयासी हजार एक सौ सतहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

✓

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2018 के पृष्ठ सं०-.....५९...../टि० पर दिनांक- 21/02/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....६०...../टि० पर दिनांक- 21/02/2019 को प्राप्त है।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(192-02-19)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 129 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-22/2/19

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(192-02-19)

सरकार के विशेष सचिव।